

24/4/25 पत्रावली पेश हुई। वादी आधी. उप.। प्रतिवादीगण की तलबी हेतु वादी अधिवक्ता द्वारा सम्मान तलबी पेश नहीं किये गये। पत्रावली वाले प्रतिवादीगण की तलबी हेतु दिनांक 24/4/25 की पेश हो।

24/4/25

24/4/25 पत्रावली पेश हुई। वादी आधी. अनु.। पत्रावली वाले प्रतिवादीगण की तलबी हेतु सम्मान पेश नहीं किया। न्यायाधीश में वाले तलबी आदिम अवसर दिया जाता है। पत्रावली वाले तलबी दिनांक 16/5/25 को पेश हो।

24/4/25

16/5/25 पत्रावली पेश हुई। वादी आधी अनु.। वादी अनुपाकित। वादी एवं वादी अधिवक्ता को निधमानुसार तीन बार आवाज लगाई गई, कोई उपस्थित नहीं आया। वादी एवं वादी अधिवक्ता के उपस्थित नहीं आने पर वादी एवं वादी अधिवक्ता को न्यायाधीश में पुनः एक बार आवाज लगावाई गई, परन्तु कोई उपस्थित नहीं आया। वादी एवं वादी अधिवक्ता के उपस्थित नहीं आने से वादी द्वारा उल्लेखित वाद अदम हाजरी। अदम नौबी में जारी किया जाता है। विधि बरे स्वलाप सुनाया गया। उकी फर्ज जारी हो।

पत्रावली फौजल शुमार लेकर जारील दफ्तर हो तथा नम्बर से कम हो।

24/4/25  
16/5/25

सहायक कलक्टर  
भीलवाड़ा

**न्यायालय सहायक कलक्टर भीलवाड़ा**

पीठासीन अधिकारी-अरुण कुमार जैन, आर.ए.एस.

1. पुरणमल पुत्र हरलाल बैरवा उम्र वयस्क निवासी पुर तह० एवं जिला भीलवाड़ा हाल निवासी पी 82 आजादनगर, भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1. गोपाल पुत्र हरलाल बैरवा उम्र वयस्क निवासी बैरवा मोहल्ला, चुंगी नाके के पास, पुर तह० एवं जिला भीलवाड़ा
2. बालकिशन पुत्र हरलाल बैरवा उम्र वयस्क निवासी बैरवा मोहल्ला, चुंगी नाके के पास, पुर तह० एवं जिला भीलवाड़ा
3. रामेश्वर पुत्र हरलाल बैरवा उम्र वयस्क निवासी बैरवा मोहल्ला, चुंगी नाके के पास, पुर तह० एवं जिला भीलवाड़ा
4. कंकु पुत्री हरलाल बैरवा उम्र वयस्क निवासी बैरवा मोहल्ला, चुंगी नाके के पास, पुर तह० एवं जिला भीलवाड़ा
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा


प्रतिवादीगण

**दावा बाबत विभाजन आराजियात एवं स्थाई निषेधाज्ञा  
अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम**

प्रकरण संख्या 105/2024 राजस्व वाद

वादी एवं वादी अधिवक्ता श्री अमित कोठारी अनुपस्थित - इस वाद में आज तारीख 16.05.2025 को पीठासीन अधिकारी अरुण कुमार जैन, आर.ए.एस. सहायक कलक्टर भीलवाड़ा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर निम्न आदेश दिया गया है, जिसके अन्तर्गत डिक्री दी जाती है-

वादी एवं वादी अधिवक्ता के न्यायालय में उपस्थित नहीं होने के कारण वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को अदम हाजरी/अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।

  
16/5/25  
(अरुण कुमार जैन)  
सहायक कलक्टर  
भीलवाड़ा